न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 70/2011

1. घीसा पुत्र श्री भूरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. दयाल पुत्र छोगा
2. कमलेश पुत्र दयाल
3. इन्द्रा बेवा श्री हनुमान
4. राजू पुत्र श्री हनुमान
5. रोहित पुत्र श्री हनुमान
6. सीमा पुत्री श्री हनुमान
7. रामदेव पुत्र श्री घीसा
   सर्व जाति अहीर (यादव) सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 12/10/2021

उपस्थितः	श्री गणेश प्रजापत	प्रार्थीगण अभिभाषक
	श्री ध्रुव सिंह चौधरी	अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री गणेश प्रजापत के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्व अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

   प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खरीदशुदा भूमि एकीकरण ख0नं0 267 नवीन ख0नं0 188/611 रकबा 35–15–00 भूमि प्रार्थी ने दिनांक 18.09.1975 को 02 बीघा भूमि मुबलिग रूपये 400/– में खातेदार श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, भवानी सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी पाटन से जर्ये विक्रय विलेख के खरीद किया था तब से आज दिन तक उक्त भूमि पर प्रार्थी की अबाध रूप से कब्जे काश्त है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त विक्रय विलेख का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप यह वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश किया है। दिनांक 18.09.1975 को प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित रकबा 02–00–00 भूमि खरीदने के बाद कई बार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कर्मचारियों को नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया परन्तु आज दिन तक प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त होने के पश्चात् भी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी तथा विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है जबकि विक्रय विलेख के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में नाम अमल दरामद करवाना प्रार्थी का विधिक अधिकार है। सम्वत् 2045 से 2048 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 388/611 की भूमि रकबा 35—15—00 भूमि राजस्व रिकार्ड में रणजीत सिंह, भवानी सिंह वल्द अजीत सिंह कौम राजपूत निवासी पाटन के नाम दर्ज है। इसके पश्चात् उक्त भूमि में से रकबा 20—00—00 भूमि का अप्रार्थी सं0 7 को बेचान किया गया तथा अप्रार्थी सं0 7 रामदेव के नाम ख0नं0 388/11/2 दर्ज किया गया तथा उक्त भूमि में से शेष 15—15—00 भूमि ख0नं0 388/611/1 प्रतिवादी सं0 3 से 6 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज की गई तथा शेष 1/2 हिस्सा भवानी सिंह पुत्र अजीत सिंह कौम राजपूत के नाम रही भूमि अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम बैचान से दिनांक 14.06.2000 को होने के पश्चात् 1/2 हिस्सा रणजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह के नाम शेष रहा तथा रणजीत सिंह के फौत होने के बाद रणजीत सिंह की विरासत कुलदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह, सुमन कंवर पुत्री रणजीत सिंह व कानकंवर बेवा रणजीत सिंह के नाम नामान्तकरण सं0 585 दिनांक 20.02.2006 के द्वारा दर्ज की गई जबकि उक्त भूमि में से 02—00—00 भूमि को पहले ही बैचान कर दिया गया था। उसके बाद उनके वारिसान को प्रार्थी की भूमि को बैचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने के बाद भी अप्रार्थी सं0 2 को नामान्तकरण सं0 599 दिनांक 05.06.2006 को बैचान कर दी गई जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। ख0नं0 388/611/1 रकबा 15—15—00 भूमि में से 08—00—00 भूमि अप्रार्थी सं0 1 को खसरा नम्बर 388/611/1/2 बैचान कर दी गई तथा तथा शेष 07—15—00 भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 2 से 6 के नाम ख0नं0 388/611/1/1 रकबा 07—15—00 भूमि दर्ज है तथा उपरोक्त सभी अप्रार्थीगण के नाम प्रार्थी की 02—00—00 भूमि को अपने नाम पश्चातवर्ती विक्रय विलेखो के जर्ये इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योकि प्रार्थी ने दिनांक 18.09.1975 को ही उक्त भूमि जर्ये विक्रय विलेख के प्राप्त की थी। उक्त क्रय की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने का दोनो विक्रेताओं रणजीत सिंह व भवानी सिंह पुत्रगण अजीत सिंह तथा इनके वारिसानों ने तथा अन्य अप्रार्थीगण ने गलत फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपने नाम इन्द्राज करवा लिया है। विक्रेताओं को शेष 02—00—00 भूमि छोड़ने के बाद शेष भूमि का ही बैचान करने का अधिकार है। जबकि अप्रार्थीगण के नाम दुबारा विक्रय विलेख निष्पादित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 17.06.2011 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 2 एवं अप्रार्थी सं0 3 लगायत 6 तथा अप्रार्थी सं0 7 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है, प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने कई बार राजस्व कर्मचारियों को नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया यह तथ्य गलत है क्योंकि प्रार्थी ने ऐसा कोई लिखित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया कि प्रार्थी ने कब–कब राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया है। ख0नं0 388/611 में नामान्तकरण सं0 599 दिनांक 05.06.2006 बैचान से अप्रार्थी सं0 2 के नाम नामान्तकरण खोला गया। प्रार्थी के कथनानुसार यदि प्रार्थी ने उपरोक्त खसरा नम्बरान् में से 02–00–00 भूमि दिनांक 18.09.1975 को क्रय की थी तो क्रय के पश्चात् उक्त भूमि में नामान्तकरण नहीं खुलने का कोई कारण व प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रयास बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि में जिन विक्रेतागण का वर्णन किया गया है, उनको तथा उनके वारिसान् को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण पक्षकार के असंयोजन के कारण उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 सद्भावी क्रेता होने एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर क्रय की गई भूमि विक्रेतागण के हक में होने से उन्होने सद्भावी रूप से भूमि क्रय की है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण का खरीद दिनांक से ही क्रय कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को दिनांक 21.04.2011 को बेदखल करने का वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पूर्व ही अप्रार्थी सं0 7 ने उपरोक्त खसरा में से 20–00–00 भूमि दिनांक 08.06.1993 को क्रय की थी तथा तत्पश्चात् बंटवारा होकर रामदेव के नाम से अलग खाता व खसरा नम्बर जारी किये गये। उस समय प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर में से 08–00–00 भूमि क्रय की गई है। जिसका भी बंटवारा होकर अलग खसरा व खाता नम्बर जारी किया गया है। उस समय भी प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उपरोक्त खसरा नम्बर के मूल खातेदार रणजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह के वारिसान के नाम दिनांक 20.02.2006 को नामान्तकरण खोला गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा उस समय भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

खातेदार भवानी सिंह द्वारा क्रेता व अप्रार्थी सं0 3 से 6 के नाम दिनांक 14.06.2000 को बैचान नामान्तकरण के समय भी प्रार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की है। उपरोक्त समस्त काय्रवाही के समय विक्रेता ने क्रेतागण को भूमि का भौतिक कब्जा दिया गया, किन्तु प्रार्थी ने उक्त समय कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद कारण अंकित किया गया है इस कारण प्रार्थी को वाद का कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

3.2 अप्रार्थीगण सं0 3 लगायत 6 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अधिन वादग्रस्त भूमि पर मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा एकीकरण ख0नं0 267 के नवीन ख0नं0 188/611 रकबा 35—15—00 की आराजी रिकार्ड में नहीं है। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त आराजी में से 20—00—00 आराजी अप्रार्थी सं0 7 रामदेव को विक्रय करना बताया है तथा रामदेव के नाम ख0नं0 388/11/2 से कोई राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तथा ख0नं0 388/611/1 अप्रार्थी सं0 3 से 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। बल्कि अप्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 वर्तमान 388/611/1/1 है जो रिकार्ड में 07—15—00 मात्र है। जिसमें 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0 3 से 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है तथा उक्त ख0नं0 की 1/2 हिस्से की आराजी रणजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 में इन्द्राज थी तथा विरासत से रणजीत सिंह के स्थान पर कान कंवर, कुलदीप सिंह व सुमन कंवर के नाम 1/2 हिस्सा विरासत से आया तथा उनके द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि ख0नं0 388/611/1/1 रिकार्ड में दर्ज है। जो उनके द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 2 के नाम बैचान दिनांक 24.06.2006 को होने के पश्चात् उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 05.06.2006 को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया है। जबकि प्रार्थी के द्वारा उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम इन्द्राज करना बताया गया है जो गलत है तथा रणजीत सिंह के वारिसान द्वारा उक्त आराजी का अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 को बैचान 2006 में जो बैचान किया गया था। फिर भी प्रार्थी द्वारा रणजीत सिंह के वारिसान को पक्षकार प्रार्थना पत्र नहीं बनाया गया है। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त व्यक्ति आवश्यक पक्षकार प्रार्थना पत्र थे। अप्रार्थी सं0 3 से 6 के पूर्वज हनुमान सिंह पुत्र समरचन्द द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन आराजी का हिस्सा दिनांक 07.09.1978 को जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसका पंजीयन दिनांक 12.10.1978 को किया गया था। अप्रार्थी सं0 3 से 6 अपने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पूर्वजो की क्रयशुदा आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी का कथन गलत व निराधार है कि प्रार्थी की 02–00–00 भूमि को अपने नाम पश्चातवर्ती विक्रय विलेखों के जरिये इन्द्राज कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 3 से 6 के पूर्वजों को किया गया बैचान किसी प्रकार से प्रभावती नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 3 से 6 के पूर्वज हनुमान सिंह पुत्र समरचन्द के विक्रय विलेख के आधार पर जो इन्द्राज किये गये है जो वैध पूर्ण है किसी प्रकार से अवैध नहीं है। अप्रार्थी सं0 3 से 6 के पूर्वज को जो विक्रय विलेख किया गया है उस दिन रणजीत सिंह के खाते में प्रार्थी को विक्रय किये गये भू भाग को छोड़कर भी उनके हिस्से में अर्थात विक्रेता के हिस्से में विक्रय की गयी भूमि उनके खाते में शेष थी इस प्रकार अप्रार्थी सं0 3 से 6 के पूर्वजो को किया गया विक्रय विलेख किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है तथा पश्चातवर्ती विक्रय 2006 का है जो अप्रार्थी सं0 2 को किया गया है। उसको बेचा गया हिस्सा ही प्रभावित हो सकता है। किसी अन्य का बेचा हुआ हिस्सा प्रभावित नहीं हो सकता। प्रार्थी को किसी प्रकार से 02–00–00 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है और न ही प्रार्थी वाद अधीन आराजी में विभाजन कराने का अधिकारी है। दिनांक 21.04.2011 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा झूठा मुकदमा पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का दावा एवं प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 3 से 6 के विरूद्ध किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अप्रार्थी सं0 3 से 6 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 18.09.1975 को 02 बीघा भूमि मुबलिग रूपये 400/– में खातेदार श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, भवानी सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी पाटन से जर्ये विक्रय विलेख के खरीद किया था तब से आज दिन तक उक्त भूमि पर प्रार्थी की अबाध रूप से कब्जे काश्त है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त विक्रय विलेख का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया। विक्रेताओं को शेष 02–00–00 भूमि छोड़ने के बाद शेष भूमि का ही बैचान करने का अधिकार है। जबकि अप्रार्थीगण के नाम दुबारा विक्रय विलेख निष्पादित किये गये है जो अप्रार्थी सं0 1 से 7 के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वह प्रार्थी के पश्चात्वर्ती दस्तावेजों के जर्ये दर्ज की गई है इसलिये सभी अप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

विक्रय विलेख 02—00—00 भूमि तक विधि विरूद्ध तथा प्रभाव शून्य है तथा उक्त भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थी दयाल व कमलेश दोनो मिलकर प्रार्थी को अपनी खरीदशुदा भूमि से बेदखल करना चाहते है तथा कई बार मौके पर आकर कहा कि ये भूमि मेरी है इसको छोड़ दो तब प्रार्थी ने कहा कि उक्त भूमि को मैने ठाकुर साहब से व उनके भाई से दिनांक 18.09.1975 को खरीदी है तथा असल रजिस्ट्री मैरे पास मौजूद है तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उनकी भूमि को अप्रार्थीगण ने अपने नाम गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा रखा है तथा सभी अप्रार्थीगण का नैतिक दायित्व है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को खरीदने से पूर्व नाप चौप करके उसके बाद ही खरीदते तो ऐसी यह गलती नहीं होती। इससे अप्रार्थीगण की मिली भगत जाहिर होती है तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.04.2011 को प्रार्थी की भूमि पर आकर बेदखल करने का प्रयास किया इसलिये कारण वाद दिनांक 21.04.2011 को उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन जारी है। वादग्रस्त कृषि आराजी प्रार्थी की जर्ये विक्रय पत्र के खरीदशुदा है। प्रार्थी का उपरोक्त कृषि आराजी पर बाद खरीद के कब्जा काश्त अबाद रूप से निरन्तर चला आ रहा है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित भूमि रकबा 02—00—00 भूमि में अप्रार्थीगण अनाधिकृत प्रवेश नहीं करे, कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा भूमि का रहन, बैचान नहीं करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी सं0 1 से 7 के विरूद्ध पारित किये जावे।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि में जिन विक्रेतागण का वर्णन किया गया है, उनको तथा उनके वारिसान् को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण पक्षकार के असंयोजन के कारण उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 सद्भावी क्रेता होने एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर क्रय की गई भूमि विक्रेतागण के हक में होने से उन्होने सद्भावी रूप से भूमि क्रय की है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण का खरीद दिनांक से ही क्रय कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को दिनांक 21.04.2011 को बेदखल करने का वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पूर्व ही अप्रार्थी सं0 7 ने उपरोक्त खसरा में से 20–00–00 भूमि दिनांक 08.06.1993 को क्रय की थी तथा तत्पश्चात् बंटवारा होकर रामदेव के नाम से अलग खाता व खसरा नम्बर जारी किये गये। उस समय प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद कारण अंकित किया गया है इस कारण प्रार्थी को वाद का कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4.3 वकील अप्रार्थी सं0 3 लगायत 6 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अधिन वादग्रस्त भूमि पर मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा एकीकरण ख0नं0 267 के नवीन ख0नं0 188/611 रकबा 35–15–00 की आराजी रिकार्ड में नहीं है। अप्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 वर्तमान 388/611/1/1 है जो रिकार्ड में 07–15–00 मात्र है। जिसमें 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0 3 से 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है तथा उक्त ख0नं0 की 1/2 हिस्से की आराजी रणजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 में इन्द्राज थी तथा विरासत से रणजीत सिंह के स्थान पर कान कंवर, कुलदीप सिंह व सुमन कंवर के नाम 1/2 हिस्सा विरासत से आया तथा उनके द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि ख0नं0 388/611/1/1 रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा रणजीत सिंह के वारिसान को पक्षकार प्रार्थना पत्र नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी सं0 3 से 6 के पूर्वजों को किया गया बैचान किसी प्रकार से प्रभावती नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 3 से 6 के पूर्वज हनुमान सिंह पुत्र समरचन्द के विक्रय विलेख के आधार पर जो इन्द्राज किये गये है जो वैध पूर्ण है किसी प्रकार से अवैध नहीं है। प्रार्थी को किसी प्रकार से 02–00–00 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है और न ही प्रार्थी वाद अधीन आराजी में विभाजन कराने का अधिकारी है। दिनांक 21.04.2011 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा झूठा मुकदमा पेश किया गया है। अतः वकील अप्रार्थी सं0 3 से 6 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी को अपने पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार प्रार्थी न होकर अप्रार्थीगण है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तणीय क्षति– अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तणीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से न्यायालय हाजा को प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस में वर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में मूल वाद संख्या 84/2011 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निस्तारण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गुणा–अवगुण आधार पर निर्णय किया जायेगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)